बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

सं0 :–2/अ0प्र0–07–07/2022 /पटना, दिनांक :–

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक 2382 दिनांक 09.09.2022 के माध्यम से श्री खुर्रम सुल्तान, तत्कालीन लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–1 को प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में निगरानी थाना कांड संख्या–43/2022 दिनांक 26.08.2022 धारा–13(2) सह–पठित धारा–13(1)(बी) भ्र०नि०अधि०–1988, (संशोधित अधिनियम–2018) का अप्राथमिकी अभियुक्त बनाये जाने की सूचना प्रतिवेदित की गयी।

2. मामले के समीक्षोपरान्त श्री सुल्तान, लेखा लिपिक को विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–45 सह–पठित ज्ञापांक–1562 दिनांक 20.09.2022 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। साथ ही प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप पर श्री सुल्तान, लेखा लिपिक के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 2200 अनु0 दिनांक 20.12.2022 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा श्री सुल्तान से संबंधित तलाशी–सह–जब्ती–सह–इन्वेन्ट्री सूची विभाग को उपलब्ध कराने जाने के उपरान्त श्री सुल्तान के विरूद्ध संशोधित आरोप पत्र गठित कर आरोप पत्र प्रेषित करते हुए विभागीय पत्रांक 401 अनु0 दिनांक 23.02.2023 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

3. इस प्रसंग में श्री सुल्तान के अभ्यावेदन दिनांक 21.03.2023 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में उनके द्वारा आरोपों के बिन्दु पर कुछ नहीं कहा गया। उद्घोषित संपत्ति एवं निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जाँच के क्रम में पायी गयी उससे अधिक चल/अचल संपत्ति यथा उद्घोषित नगद से छः माह के अन्दर ही अत्यधिक नगद पाया जाना, तलाशी के क्रम में कार्यपालक अभियंता, श्री संजय कुमार राय के लिए रिश्वत की राशि का हिसाब–किताब संबंधी कागज की पर्ची बरामद होने आदि के संबंध में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी। साथ ही स्पष्टीकरण के साथ अपने कथन के समर्थन में कोई स्पष्ट साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

4. उक्त के आलोक में सम्यक समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सुल्तान, लेखा लिपिक के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए मामले की गहन/विस्तृत जाँच के लिये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–17 के संगत प्रावधानों के तहत उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

7. अतएव श्री खुर्रम सुल्तान, तत्कालीन लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–1 सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री शत्रुंजय कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:-http://rwd.bih.nic.org,E-mail:secretaryrwdbihar@gmail.com&secy-reo-bih@nic.in

8. श्री खुर्रम सुल्तान, तत्कालीन लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–1 सम्प्रति निलंबित से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें स्वयं उपस्थित हो।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार एवं मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–07–07/2022 /पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :–आरोप पत्र/साक्ष्य एवं संगत कागजात की प्रति के साथ मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ तीन प्रतियों में तथा कार्यवाही अभिलेख सरकार को समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु0 :– यथोक्त।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–07–07/2022 /पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :–आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री शत्रुंजय कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं श्री खुर्रम सुल्तान, तत्कालीन लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–1 सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय :– मुख्य अभियंता–1 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 :– यथोक्त।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक 2/अ0प्र0–07–07/2022 1727 /पटना, दिनांक :– 14.8.23

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–8, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख